हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ.

20/6/16 आज यह पत्रावली कैम्प कोर्ट पलालिया में पेश हुई। वकील वादी, प्रति. उप.। दोनों पक्षों को सुना गया। व रिकॉर्ड पत्रा. का अवलोकन किया गया। विचाराधीन वाद धारा 53-188 रा. का. अधि. 1955 का है। जिसमें विवादित आराजियात ख. नं. 438/0-20, किता 3 गै. मु. चाह, 439/0-01 गै. मु. मकान, 396/0.08 गै. मु. चाह दर्ज रिकॉर्ड है। वादी द्वारा उक्त आराजियात पर काश्त होना बताया है। जबकि प्रतिवादीगण की ओर से कथन है कि विवादित आराजियात प्रतिवादीगण ने उपस्वास्थ्य केन्द्र व सार्वजनिक कार्य हेतु गिफ्ट डीड पंजीबद्ध कराई हुई है। इससे यह बात स्पष्ट है कि विवादित आराजियात पर वर्तमान में कोई काश्त नहीं होती है। अभी भी किस्म भी गै. मु. चाह व गै. मु. मकान दर्ज है। गै. मु. चाह व गै. मु. मकान का बंटवारा नहीं किया जा सकता। वादी वकील ने काश्त हो रही हो, इस बाबत कोई सजीव साक्ष्य भी पेश सकने आज कैम्प कोर्ट में पेश नहीं की। इसलिये वादी का दावा स्वीकार नहीं होता है व खारिज योग्य है अतः वादी का वाद u/s 53-188 R.T. Act 1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली नतीजा से नत्थी होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय कैम्प कोर्ट में लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[signature]

Scanned by CamScanner